


42

M. 5067 11/16

न्यायालय श्रीमान सदस्य राजस्व मण्डल सर्किट कोर्ट रीवा, म.प्र.



सुनील कुमार सिंगरौली
11-2-16
8:20 PM

आशा

—आवेदिका

बनाम

विजय वगैरह

— अनावेदकगण

आवेदन पत्र बावत प्रकरण को पुनर्स्थापित कर
सुनवाई में लिये जाने बावत

आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 35 (3) म.प्र. भू-रा.सं.
C.R. 1117-11/13/शंकर

मान्यवर,

आवेदन पत्र के आधार निम्न हैं:-

- 1- यह कि उक्त उन्मान का प्रकरण माननीय न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है, जो आज दिनांक को नियत था।
- 2- यह कि आवेदक/अधिवक्ता अन्य न्यायालय में व्यस्त होने के कारण पुकार के समय मान्. न्यायालय के समक्ष उप. नहीं हो सके, ऐसी स्थिति में मान्0 न्याया. द्वारा प्रकरण को अदम पैरवी में खारिज कर दिया गया।
- 3- यह कि आज ही पुनर्स्थापन बावत आवेदन पत्र प्रस्तुत किया जा रहा है। जानबूझकर उप0 हेतु लापरवाही नहीं की गई है, बल्कि पुकार के समय अन्य न्यायालय में व्यस्त होने के कारण अधिवक्ता उप0 नहीं हो सके, ऐसी स्थिति में प्रकरण को पुनर्स्थापित किया जाना न्यायहित में आवश्यक है, अन्यथा आवेदक को अपूर्तनीय क्षति होगी और आवेदक न्याय प्राप्त करने से वंचित हो जायेगा।

अस्तु श्रीमान जी से निवेदन है कि प्रकरण को पुनर्स्थापित कर पुनः सुनवाई किये जाने की महान कृपा की जाय।

आवेदक

आशा

द्वारा/अधि.

दिनांक-11.2.16

सुनील कुमार सिंगरौली, एड. रीवा

A 5067-जा/16

दिनांक 21/02/16

12-2-16.

- 1- प्रकाश प्रस्तुत।
- 2- आवेदक श्री ओर से श्री सुनील कुमार् सिंगरौल एड. अफ।
- 3- आवेदक अभिभाषक के तब मूल प्रकाश क्रमांक R/1667-तीन/13 अदम पेरवी दिनांक 11-2-16 के पुनर्स्थापन आवेदन पर घुना गया तथा प्रकाश का अवलोकन किया।
- 4- आवेदक अभिभाषक श्री अजनी सोनी व्यापार में उपाधित रहे किन्तु पुनर्स्थापन आवेदन की शर्त प्राप्त करने से इजाजत किया।
- 5- आवेदक अभिभाषक द्वारा बताया गया कि मूल प्रकाश में दिनांक 11-2-16 को उपाधित होने में जानबुझकर लापरवाही नहीं की गयी है, यद्यपि प्रकाश के समस्त अन्य व्यापार में व्यस्त होने के कारण उपाधित नहीं हो सका। - आवेदक - अभिभाषक द्वारा दिनांक 11-2-16 को पुनर्स्थापन आवेदन प्रस्तुत किया गया है तथा आवेदक अभिभाषक श्री अजनी सोनी को इसकी जानकारी दी तथा उन्होंने पुनर्स्थापन आवेदन की शर्त प्राप्त नहीं की गयी। - आवेदक द्वारा प्रस्तुत पुनर्स्थापन आवेदन दिनांक 11-2-16 समस्त शीघ्र प्रस्तुत होने के फलस्वरूप मूल प्रकाश क्रमांक R.1667-तीन/13 अदम पेरवी दिनांक 11-2-16 पुनः नम्बर में स्थित जात है। तदनुसार मूल प्रकाश में आवेदक की कार्यवाही की जाये।
6. प्रकाश पत्र से समाप्त होकर बन्द हो।

सदस्य